कुछ एलोपथिक दवाइयों के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाना

2538. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) 1994–95 से 1996–97 की अवधि के दौरान किन-किन एलोपैथिक दवाइयों के उत्पादन और आपूर्ति पर प्रतिवर्ष प्रतिबंध लगाया गया है ;

(ख) क्या प्रतिबंधित दवाओं के बाजार में न पहुंचने को सुनिश्चित करने के लिए बाजार में कोई जांच-पड़ताल की गई है ;

(ग) यदि हां, तो क्या कभी कोई प्रतिबंधित दवा बिक्री हेतु बाजार में उपलब्ध पाई गई है ; और

(घ) यदि हां, तो पता लगाए गए ऐसे मामलों और प्रतिबंधित फार्मा के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) भारत सरकार द्वारा वर्ष 1994–95 से 1996–97 के दौरान प्रतिबंधित की गई औषधों का ब्यौरा विवरण में दिया जाता है (नीचे देखिए) ।

(ख) से (घ) औषधों के निर्माण और बिक्री की मानीटरिंग राज्य औषध नियंत्रण संगठन द्वारा की जाती है जिन्हें विनिष्ट रूप से भारत सरकार द्वारा ज्योंही ऐसी अधिसूचना जारी कर दी जाती है, त्योंही किसी भी प्रतिबंधित औषध के निर्माण और विपणन या संभालने को रोकने का परामर्श दिया जाता है । व्यावसायिक-पत्रिकाओं के माध्यम से और व्यापारिक संगठनों को सूचित करके औषधों पर प्रतिबंध लगाने के बारे में प्रचार-प्रसार भी किया जाता है । राज्य औषध नियंत्रक ने प्रतिबंधित औषधों के लाने के तीन उदाहरणों की सूचना दी है । केरल में कैमिस्ट और निर्माता के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया गया है । बिहार और गुजरात में लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है ।

विवरण

1994-95 से 1996-97 की अवधि के दौरान प्रतिबंधित औषधों/औषधयोगों की सूची

1. डाबर पाउडर आई० पी०

2. डाबर पाउडर टेबलटस आई० पी०

3. क्योलिन अथवा पेक्टिन अथवा अटेपल्गाइट अथवा एक्टीवेटिड चारकोल युक्त अतिसार-रोधी औषध-योग ।

4. फथैल्लि सल्फेथियाजोल अथवा सल्फेगुएनिडाइन अथवा सक्सीनिल सल्फेथियाजोल युक्त अतिसार-रोधी औषध योग ।

5. उनके संबंधित लवणों अथवा एस्टर्स समेत नियोमाइसिन अथवा स्ट्रेप्टोमाइसिन अथवा डिहाइड्रोस्ट्रेप्टोमाइसिन युक्त अतिसार-रोधी औषध योग ।

6. तरल मूलीय प्रतिसार-रोधी पौष्टी अथवा उनके लवणों अथवा एस्टरों अथवा बेटा-बोलाइट्स हियोसेमाइन अथवा उनके लवणों अथवा एस्टरों समेत क्लिडीनियमब्रोमेड अथवा क्लोरडायाजेपाक्साइड अथवा मेप्रोबामेट अथवा वेलेरियाना युक्त बच्चों के उपयोग के लिए तरल मूलीय अतिसार-रोधी औषधें अथवा किसी अन्य खुराक के रूप में ।

7. बच्चों के उपयोग के लिए क्लोरोक्वेटिड हाइड्रोक्लोराइड युक्त तरल मूलीय अतिसार-रोधी औषधों अथवा किसी अन्य खुराक के रूप में ।

8. इलेक्ट्रोलिटों सहित अतिसार-रोधी औषधों की निश्चित खुराक के सम्मिश्रण ।

9. विटामिन "सी" सहित किसी अन्य रेट्रासाइक्लिनों की निश्चित खुराक वाले सम्मिश्रण।

10. पिपराजाइन/सटोनिन को छोड़कर के थार्टोक्लपर्गेटिव सहित किसी एथेल्मिन्टिक की निश्चित खुराक वाले सम्मिश्रण ।

11. पेंटेंट व प्रोप्राइटरि मुखीय पुनर्जलपूर्ण लवण ।

12. किसी अन्य औषध के साथ आक्सीफेनबूटाजोन अथवा फिनिलबूटाजोन के निर्धारित खुराक वाले सम्मिश्रण ।

13. एंटी स्पेगमाडिक्स को छोड़कर किसी अन्य औषध के साथ एनेल्जिन के निर्धारित खुराक वाले सम्मिश्रण ।

14. एंटी स्पेसमाडिक्स और/अथवा नान स्टेराइडल, प्रदाहक रोधी औषधों (नसेड्स) को छोड़कर किसी अन्य औषध के साथ डेक्सट्रोप्रोपोक्सीफेन के निर्धारित खुराक वाला सम्मिश्रण ।

15. किसी औषध का निर्धारित खुराक वाला सम्मिश्रण जिसके मानक किसी आयुर्वेदिक, सिद्ध अथवा यूनानी औषध के साथ उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची मे निर्धारित किए गए है ।

16. बाह्य उपयोग के सम्पादकों के सिवाय किसी अन्य औषध के साथ औषधों के हाइड्रोक्सी क्विनोलाइन समूह के निर्धारित खुराक वाला सम्मिश्रण ।

17. पेन्सिलिनों के साथ स्ट्रेप्टोमाइसिन का निर्धारित खुराक वाला सम्मिश्रण ।

मानसिक चिकित्सालयों में रोगी

2539. **श्री दिग्विजय सिंह जुदेव** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31-7-1997 की स्थिति के अनुसार देश के मानसिक रोग चिकित्सालयों में चिकित्सालय-वार कितने रोगी भरती है ;

(ख) वर्ष 1991-92 से 1996-97 तक एवं 31 जनवरी, 1997 तक चिकित्सालय-वार कितने मरीजों की मृत्यु हुई ;

(ग) इनमें से चिकित्सालय-वार कितने मरीजों को स्वस्थ हो जाने के बावजूद उनके परिजनों द्वारा अपने घर में जाने से इन्कार कर दिया गया है ; और

(घ) सरकार द्वारा स्वस्थ हो चुके परन्तु परिजनों द्वारा परित्यक्त मरीजों की पुनर्वास संबंधी योजनाओं एवं किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (घ) वर्ष 1991 और 1992 मे विशिष्ट मानसिक अस्पतालों में दाखिल किए गए अस्पतालों से छुट्टी किए गए और मृत मानसिक रोगियों का राज्यवार विवरण अनुबंध में दिया गया है । [देखिए परिशिष्ट 181, अनुबंध संख्या 67] । वर्ष 1993 और उसके आगे के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में दो विशिष्ट संस्थाएं है । ये है—राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और